न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी	:—	मनमोहन मीना, आर.ए.एस. अति0 जिला कलक्टर, लालसोट
मुकदमा नंबर	:—	जीसीएमएस नंबर 2023 / 226 मैन्युअल नंबर 131 / 2023
रजु दिनांकः	:—	17.10.2023

1. बाबूलाल पुत्र घीसीलाल जाति मीना निवासी ग्राम रालावास तहसील राहूवास जिला दौसा

(अपीलान्ट)

बनाम

1. श्रीमती कल्याणी देवी पत्नी सांवलराम जाति मीना निवासी ग्राम रालावास, भक्तों की ढाणी तहसील राहूवास जिला दौसा
2. राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार राहूवास जिला दौसा

(रेस्पोडेन्टस)

उपस्थितः— 01. अपीलांट की ओर से : श्री कमलेश कुमार सैनी
02. रेस्पोडेन्टस की ओर से : कोई उपस्थित नही

निर्णय दिनांकः 4/12/24

अपील विरूद्ध तहसीलदार राहूवास जिला दौसा द्वारा नामांतरण संख्या 882 वाकै ग्राम रालावास तहसील राहूवास का आदेश दिनांक 04.10.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक अपील अंतर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट विरूद्ध नामांतरण संख्या 882 ग्राम रालावास बाबत् तहसीलदार राहूवास के आदेश दिनांक 04.10.2023 इस आशय की पेश की गई कि ग्राम रालावास तहसील राहूवास जिला दौसा में आराजी भूमि ख0नं0 266 रकबा 4.4389 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि में रामजीलाल पुत्र गंगाराम मीना का हिस्सा 1 / 4 दर्ज रहा है। उक्त हिस्से की भूमि को रामजीलाल द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 06.06.2022 को बिल ऐवज 32 लाख रूपये जरिये विक्रय इकरारनामा बेचान कर मौके पर आधिपत्य करवा दिया गया था। जिसके संबंध में

अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश लालसोट में वाद भी विचाराधीन है तथा अपीलान्ट द्वारा रामजीलाल को प्रतिफल राशि भी अदा कर दी गई इसके बावजूद भी रामजीलाल द्वारा अवैध एवं विधि विरुद्ध तरीके से रेस्पो0 नं0 1 को दिनांक 04.10.2023 को हस्तान्तरण बिना आधिपत्य के ही करवा दिया जिसका तहसीलदार राहूवास द्वारा प्रश्नगत नामांतरण दिनांक 04.10.2023 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट ने अपनी अपील में आधार अंकित किये है कि प्रश्नगत नामा0 कानून, कायदो, विधि की सम्यक् प्रक्रियाओ के सरासर विपरीत है तथा प्रश्नगत नामा0 आदेश क्षेत्राधिकार विहीन आदेश है। हल्का पटवारी द्वारा बिना दस्तावेज के ही नामांतरण दर्ज कर दिया एवं प्रश्नगत नामा0 पर निर्णय करने से पूर्व अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर नही दिया गया तथा उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत नामा0 को चुनौती देने हेतु धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र संलग्न पेश किया गया तथा अनुतोष चाहा गया कि प्रश्नगत नामा0 को निरस्त कर उसके पश्चात हुये पश्चातवर्ती इन्द्राजात को भी निरस्त करने की कृपा करे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी की गई जिस पर बावजूद तामिल रेस्पो0 अनुपस्थित होने पर उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई एवं प्रश्नगत नामा0 से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया गया एवं रिकार्ड प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया तथा बहस अपीलान्ट सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारो को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया तथा अपनी मौखिक बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2003(1) Page 596 (R.B) Sita Ram Vs Mahesh Chand & Ors, 2019 (2) RRT Page 1392 (R.B) Harinarayan Vs. Shankar Singh & Ors. 219(2) RRT Page No. 1053 (R.B) Moola Ram & Ors Vs Kishanlal & Ors, 2019 RBJ Page 776 (R.B) Rambabu Vs Sh. Mod singh पेश किये।

बहस अपीलान्ट पक्ष सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मनन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रश्नगत मूल नामा0 का भी अवलोकन किया गया। आराजी ख0 नं0 266 ग्राम रालावास में रामजीलाल का हिस्सा 1/4 दर्ज रहा है तथा यह सुस्पष्ट है कि रामजीलाल द्वारा अपने हिस्से को जरिये विक्रय इकरारनामा दिनांक 06.06.2022 को अपीलान्ट को बेचान किया गया जिसके अनुसार अपीलान्ट द्वारा रामजीलाल को 7 लाख रूपये नगद व 10 लाख रूपये जरिये चैक दिया जाकर उसी समय मौके पर कब्जा आराजीयात पर करवा दिया तथा अपीलान्ट के कब्जे की ताईद हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 10.10.2023 भी करती है तथा उक्त भूमि बाबत् विवाद भी हुये है जिसकी एफ. आई.आर. भी संबंधित थाने में दर्ज रही है तथा सिविल न्यायालय में विवाद भी विचाराधीन है तथा प्रश्नगत नामा0 में वर्णित भूमि का रेस्पो0 नं0 1 के हक में हुये विक्रय पत्र दिनांक 04.09.2023 पर गौर करने पर यह स्पष्ट है कि रामजीलाल द्वारा रेस्पो0 नं0 1 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा नही बेचा फिर भी हल्का पटवारी द्वारा गलत नामा0 भरा गया जो राजस्व कर्मियो की उदासीनता का घोतक है। प्रश्नगत नामा0 जिसके संबंध में पहले 45 दिवस के

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

भीतर नामा0 पर निर्णय करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है तथा नामा0 विवादित होने पर इसके पश्चात ही तहसीलदार प्राधिकृत है जिससे सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत नामा0 पर निर्णय क्षेत्राधिकार विहिन आदेश है जिसमें नियम, कायदे, कानूनों की भी कोई पालना नहीं की गई न ही अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया तथा हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतरण संख्या 882 वाके ग्राम रालावास तहसील राहूवास का आदेश दिनांक 04.10.2023 निरस्त किया जाकर तहसीलदार राहूवास को इस आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि नामांतरण की पुनः विधिवत रूप से जांच कर नामांतरण तस्दीक की कार्यवाही करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 5/12/25 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना, आरएएस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट,दौसा